



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

मुंबई संभाग / MUMBAI REGION

केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA

ONGC PANVEL

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र / Transfer Certificate

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

पुस्तक सं. / Book No.

3622

विद्यार्थी रजि. सं. / S.R. No.

362197

प्रवेश नं. / Admission No.

15531

1. विद्यार्थी का नाम / Name of the Pupil

2. a) पिता / संरक्षक का नाम / Father's / Guardian's Name

b) माता का नाम / Mother's Name

3. राष्ट्रियता / Nationality

4. क्या विद्यार्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति का है?

Whether the candidate belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/OBC?

5. विद्यालय में प्रथम प्रवेश की तिथि और कक्षा

Date of first admission in vidyalaya With Class

6. प्रवेश रजिस्टर के अनुसार जन्म तिथि (ईसवी सन् में) अंको में / शब्दों में

Date of birth (in Christian Era) according to Admission Register
(in figures / in words)

7. अंतिम कक्षा जिसमें विद्यार्थीने अध्ययन किया (अंको में. / शब्दों में)

Class in which studying at the time of leaving (in figures / in words)

8. विद्यालय / बोर्ड की अंतिम वार्षिक परीक्षा और उसका परिणाम

School / Board Annual Examination last taken with result

9. क्या विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा ? यदि हाँ, तो उसी कक्षा में क्या एक बार / दो बार ?

Whether failed, if so, once / twice in the same class

10. पढ़े गए विषय / Subject studied

अनिवार्य

Compulsory

वैकल्पिक

Elective

1)

3)

1)

3)

2)

4)

2)

4)

English

Chemistry

Computer Science

Physics

Mathematics

Science

Yes

upto march 2025

Session Completed

Session Completed

Good

13.05.2025

13.05.2025

Passed AISSE 2025

कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर
Signature of Class teacherजाँचकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पद
Checked by

(Full name and designation)

प्राचार्य / Principal
प्राचार्य (Seal) / Incharge principal
केन्द्रीय विद्यालय

के.वि.-ओ.एन.जी.संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

Transfer Certificate should be issued by the signature of the regular principal / Incharge principal. In the absence of the principal the T.C. issued by the Vidyalaya should be signed (Counter Signed) by the Chairman, Vidyalaya Management Committee.

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र केवल प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए। प्राचार्य की अनुपस्थिति में विद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थानान्तरण प्रमाणपत्र को विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर (प्रतिहस्ताक्षर) के अंतर्गत जारी किया जाना चाहिए।